

भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को फरि से शुरू करेंगे

प्रलमिस के लयि:

अंतरमि वयापार समझौता, मुक्त वयापार समझौता ।

मेन्स के लयि:

भारत-कनाडा मुक्त वयापार समझौते का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और कनाडा ने वयापार और नविश पर पाँचवीं मंत्रसितरीय वार्ता (MDTI) आयोजति की, जहाँ मंत्रयिों ने भारत-कनाडा [व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते](#) (CEPA) हेतु वार्ता को औपचारकि रूप से फरि से शुरू करने पर सहमत वियक्त की और एक अंतरमि समझौते या प्रारंभकि प्रगतशील वयापार समझौते पर भी वचिार कयिा ।

- इससे पूर्व भारत और ऑस्ट्रेलया ने घोषणा की थी कि वे मार्च 2022 में एक अंतरमि वयापार समझौता और उसके 12-18 माह बाद एक [व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता](#) (CECA) करने को तैयार हैं ।



प्रमुख बढि

- अंतरमि समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्त के नयिमों, स्वच्छता और फाइटोसैनटिरी उपायों, वयापार हेतु तकनीकी बाधाओं और वविाद नपिटान में उच्च स्तरीय प्रतबिद्धताएँ शामिल होंगी तथा पारस्परकि रूप से सहमत कसिी भी अन्य कषेत्रों को भी शामिल कयिा जा सकता है ।
- दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स और महत्त्वपूर्ण एवं दुर्लभ पृथ्वी खनजिों के साथ-साथ पर्यटन, शहरी बुनयादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा एवं खनन जैसे कषेत्रों में सहयोग पर ज़ोर दयिा ।
- दोनों देश दालों में कीट जोखमि प्रबंधन के लयि कनाडा द्वारा लागू प्रणाली को मान्यता देने और भारतीय कृषि वस्तुओं जैसे- स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और केला आदि के लयि बाज़ार पहुँच के संबंध में गहन कार्य करने पर सहमत हुए ।
- कनाडा भारतीय जैवकि नरियात उत्पादों की सुवधा के लयि [APEDA \(कृषि एवं और प्रसंसकृत खाद्य उत्पाद नरियात वकिस प्रअधकिरण\)](#) को 'अनुरूपता सत्यापन नकियाय' (CVB) की मान्यता दयि जाने के अनुरोध की शीघ्र जाँच करने पर भी सहमत हुआ ।
 - CVB एक ऐसा संगठन के रूप में होता है, जसिने कनाडाई खाद्य नरिीकषण एजेंसी के साथ-साथ कनाडाई खाद्य नरिीकषण एजेंसी अधनियिम

की उप-धारा 14(1) के तहत प्रमाणन नकारियों का आकलन करने, मान्यता के लिये अनुशंसा और नगिरानी करने के लिये एक समझौता किया है।

- मंत्रियों ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीली आपूर्ति शृंखला स्थापित करने के महत्त्व को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में सहयोग पर वचारों का आदान-प्रदान किया।

अंतरिम व्यापार समझौता:

- किसी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले दो देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच कुछ वस्तुओं के व्यापार पर टैरिफ को उदार बनाने हेतु एक अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Agreement- ITA) अथवा 'अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट' (Early Harvest Trade Agreement) का उपयोग किया जाता है।
- अंतरिम समझौते पर सरकार का जोर रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकता है ताकि न्यूनतम प्रतिबद्धताओं के साथ एक बेहतर समझौता संपन्न किया जा सके और विवादास्पद मुद्दों को बाद में हल करने का अवसर हो।
- 'अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट' जो पूर्ण पैमाने पर FTA में नहीं होते हैं, इन्हें अन्य देशों से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं।
- पूरे सौदे पर एक साथ बातचीत करना अक्सर फायदेमंद होता है, क्योंकि 'अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट' एक पक्ष के लिये एफटीए की दिशा में काम करने हेतु प्रोत्साहन को कम कर सकता है।

व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता (CEPA):

- यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।
- साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।
- CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है।
- भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं।

कनाडा के साथ भारत के वर्तमान व्यापार संबंध:

- भारत, कनाडा का 11वाँ सबसे बड़ा निर्यात बाजार (**Export Market**) है और कुल मिलाकर 12वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है।
 - वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा कनाडा को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा कनाडा से 2.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत में कनाडा की वाणिज्यिक प्राथमिकताएँ भारत के नीतित्वा उद्देश्यों और उन क्षेत्रों पर लक्षित हैं जहाँ कनाडा को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। इन प्राथमिकताओं में शामिल हैं:
 - पारंपरिक और परमाणु ऊर्जा के निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना।
 - वित्तपोषण, उपकरण, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से भारत को इसकी पर्याप्त शहरी एवं परिवहन बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना।
 - कनाडा और भारतीय शैक्षणिक एवं तकनीकी कौशल संस्थानों के बीच अधिक सहयोग के माध्यम से उन्नत शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण।
 - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्यिक अनुसंधान एवं विकास।
 - भारत की खाद्य सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने हेतु खाद्य उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात में वृद्धि।

स्रोत: पी.आई.बी.